बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पंत भवन, चतुर्थ तल (पूर्वी भाग), बेली रोड, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, **Email ID:- scdisablity-bih@gov.in, Website :- scdisabilities.com**

संचिका सं०-02/रा०आ०नि०/लेखा(स०कर्मी)-01/2022 241/आ०।नि०को दिनांक 07/05/25

प्रेषक,

राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- **निविदा संबंधित सूचना विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य आयुक्त नि:शक्तता (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना के कार्यालय भवन / परिसर की साफ-सफाई हेतु सेवा प्राप्ति हेतु निविदा आमंत्रण संबंधी सूचना का प्रकाशन राज्य के प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में विज्ञापन को प्रकाशित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना की विज्ञापन दिनांक- 08.05.2025 को बिहार के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

अनु:- विज्ञापन सामग्री की प्रति साफ्ट एवं हार्ड कॉपी में

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर)
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/रा०आ०नि०/लेखा(स०कर्मी)-01/2022 241/आ०।नि०को दिनांक 07/05/25

प्रतिलिपि:- विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय
(समाज कल्याण विभाग)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– SCD/01/2025

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, पंत भवन, चतुर्थ तल (पूर्वी भाग), बेली रोड, पटना के भवन/परिसर की सफाई हेतु निविदा आमंत्रण :–

2. राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय के अधीन सफाई हेतु भवन/परिसर की सूची :–

तालिका–1

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	परिसर का प्रकार	अनुमानित सफाईकर्मी की संख्या
1	राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, (समाज कल्याण विभाग), बिहार, पटना के पंत भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, पटना–800001 परिसर में स्थित कार्यालय।	राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय भवन के चतुर्थ तल (पूर्वी भाग) में अवस्थित कुल क्षेत्रफल 05,429 sq. ft.	04

उपर्युक्त सूची एवं सफाई कर्मियों की संख्या संभावित है। इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जायेगा।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथिः–दिनांक 28.05.2025 के 05:00बजे शाम तक। निविदा खुलने की तिथिः–दिनांक 29.05.2025 को अपराह्न 03:00 बजे।

Pre-Bid Meeting दिनांकः–16.05.2025 को अपराह्न 2:30 बजे राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, पंत भवन, चतुर्थ तल (पूर्वी भाग), बेली रोड, पटना–800001 में होगी।

निविदा हेतु आवदेन पत्र का वित्तीय निविदा प्रारूप एवं विस्तृत निविदा सूचना राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, बिहार, पटना की वेबसाईट http://scdisabilities.com पर उपलब्ध है।

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

निविदा की प्रमुख शर्तें:–

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें:–

निविदा के साथ निम्न कागजात के स्व–हस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित प्रति निम्न क्रमानुसार संलग्न रहना चाहिए :–

(i) निविदादाता को अग्रधन के रूप में 10,000/–रूपया का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीय कृत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्गत STATE COMMISSIONER DISABILITIES, BIHAR, PATNA के पक्ष में देय हो, की मूल प्रति संलग्न करना होगा। बैंकड्राफ्ट की स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी। EMD की राशि निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। केन्द्रीय क्रय संगठन/राज्य क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन (एन०एस०आई०सी०)/एम०एस०एम०इ०, राज्य सरकार के Registered Start up अथवा संबंधित विभागों में पंजीकृत फर्म उक्त बोली प्रतिभूति जमा करने में छूट ले सकते हैं, बशर्ते तत्संबंधी अभिलेखों की प्रति संलग्न हो।

(ii) PAN कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

(iii) साफ–सफाई एजेंसी/संस्थान को वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत निबंधन अनिवार्य होगा, GST निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

(iv) किसी भी राज्य सरकार/केंद्रसरकार/अन्य प्रतिष्ठान द्वारा Debar /काली सूची में दर्ज नहीं होने का Notarised शपथ पत्र मूल प्रति में।

(v) भारतीय श्रम अधिनियम के तहत Bihar Shops and Establishment Act के अंतर्गत साफ–सफाई एजेंसी/संस्थान का निबंधन अनिवार्य होगा । निबंधन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

(vi) GST के अंतर्गत माह फरवरी, 2025 के लिए दाखिल विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

(vii) एजेंसी/संस्थान द्वारा तीन वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

(viii) निविदादाता को कम से कम तीन वर्षों का केन्द्र/राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि में साफ–सफाई संबंधी कार्य का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(ix) EPFO में Registration Certificate की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

(x) ESIC में Employer का Registration Certificate (C-11) की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।

(xi) सभी पृष्ठों पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना चाहिये ।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें:–

(i) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोलने पर विचार किया जाएगा।

(ii) निविदा में भाग लेने वाले साफ–सफाई एजेंसी/संस्थान द्वारा प्रारूप Annexure –A में स्पष्ट रूप से सूचना का अंकण किया होना चाहिये।

(iii) साफ–सफाई के लिए प्रति सफाई कर्मी को की जाने वाली भुगतान यथा साफ–सफाई सामग्री पर व्यय, प्रशासनिक व्यय, प्रोफिटमार्जिन, EPFO, ESIC अंशदान की राशि की पूर्ण गणना करने के उपरांत अपना मासिक दर वित्तीय निविदा में दर्ज करेंगे।

(iv) साफ–सफाई की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ एवं 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में तथा अधिकतम 7 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क सहित) होगी। इसी आधार पर निविदा दाखिल करना होगा।

(ग) निविदा की अन्य शर्तें:–

(i) साफ–सफाई की दर प्रति सफाईकर्मी प्रतिदिन (सभी सफाई सामग्री एवं उपकरण सहित) के आधार पर मान्य होगा (Annexure -A Format में) तथा लागू दर पर GST की राशि अलग से कार्यालय द्वारा एजेंसी को भुगतान की जायेगी।

(ii) उक्त कार्यालय एवं परिसर का स्थान परिवर्तित होने अथवा नये कार्यालय जुड़ने पर भी सफाई कार्य उसी शर्तों के अधीन करना होगा।

(iii) सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा–झाडू–कश एव बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसिड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि सामग्रियों का आवश्यकतानुसार चयनित एजेंसी को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

2०.8.25

(iv) चयनित एजेंसी को प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को संबंधित कार्यालय से साफ–सफाई कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा इस के उपरांत भुगतान हेतु उनके द्वारा विपत्र समर्पित किया जायेगा।

(v) चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों का नाम, पता एवं फोटो पहचान/आधार कार्ड की छायाप्रति को सत्यापित कराकर राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय के पास जमा करना होगा।

(vi) सफाई करने का दर संविदा समाप्ति की अवधि तक के लिए लागू रहेगा। राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय चयनित एजेंसी के सफाई कार्य से संतुष्ट रहने की स्थिति में इस निविदा अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। कार्य संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय संविदा को समाप्त कर सकती है।

(vii) यदि चयनित एजेंसी के साफ–सफाई कर्मियों द्वारा सरकारी संपत्ति की क्षति की जाती है, तो इसकी पूर्ण भरपाई चयनित एजेंसी को करनी होगी। यदि हर्जाने की भरपाई चयनित एजेंसी के द्वारा नहीं की जाती है, तो वैसी स्थिति में राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय चयनित एजेंसी के विरूद्ध आपराधिक मामला भी दायर कर सकती है तथा हर्जाने की राशि की वसूली उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से की जायेगी।

(viii) चयनित निविदादाता को कार्य आवंटन के पश्चात ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 के अन्तर्गत, यदि लागू हो तो, लाईसेंस प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।

(ix) चयनित निविदादाता द्वारा जिन–जिन मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उन मजदूरों को EPFO कार्यालय एवं ESIC कार्यालय में निबंधित करवाकर निबंधन का साक्ष्य राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में जमा करना होगा।

(x) चयनित निविदादाता प्रत्येक महीने मजदूरों का EPFO Contribution, ESIC Contribution संबंधित कार्यालय में जमा कर चालान की प्रति प्रत्येक महीने कार्यालय में जमा करेंगे एवं इस संबंध में संवेदक द्वारा मजदूरों के हित के प्रतिकूल कार्य करते हुए पाये जाने पर संवेदक को Debar/कालीसूची में दर्ज करने एवं भविष्य में कहीं भी निविदा दाखिल करने से वंचित किया जा सकता है।

(xi) निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

(xii) तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में सील कर के दोनों लिफाफा के उपर क्रमशः **"तकनीकी निविदा : राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में साफ–सफाई के कार्य हेतु"** एवं **"वित्तीय निविदा : राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में साफ–सफाई के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिये एवं इन दो अलग–अलग लिफाफा को एक बड़े लिफाफा के अंदर डालकर उसे सीलकर के उसके ऊपर **"निविदा : राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में साफ–सफाई के कार्य हेतु"** लिखा होना चाहिये।

(xiii) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस तरह भेजा जाना चाहिये कि कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त हो जाय। निविदादाता हाथोंहाथ भी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय के डाक प्राप्ति शाखा में निविदा जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

(xiv) Cutting, Overwriting एवं Whitening आदि के प्रयोग होने पर दस्तावेज consider नहीं किया जायेगा।

कार्य का स्वरूपः–

1. एजेन्सी द्वारा भवन के भीतरी एवं बाहरी कैंपस का पूर्ण रूप से Cleaning, Dusting, Mopping इत्यादि का कार्य करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत सभी कमरे, बरामदा, सीढ़ी, शौचालय की संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करना।
2. एजेन्सी के सफाई कर्मी द्वारा परिसर स्थित किसी भी तरह के स्थायी Structure, Fittings, Furniture, Apparatus, Tiles, Pipes, Electrical Fittings का नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। किसी भी तरह का नुकसान प्रतिवेदित किये जाने पर उसके मरम्मती/बदलने का कुल खर्च एजेन्सी से वसूला जायेगा।

3. विभिन्न कार्यों का विस्तृत विवरणी निम्नवत है :–

क्रम संख्या	स्थान	परिसर	अंतराल (कितने दिनों पर करना है)
1..	कमरों की सफाई	कार्यालय	दिन में एक बार
2.	बरामदा	कार्यालय	दिन में एक बार
3.	सीढ़ी	कार्यालय	दिन में एक बार
4.	शौचालय / यूरीनल	कार्यालय	कार्यालय में प्रत्येक घंटे
5	कैंपस का एरिया	कार्यालय	दिन में एक बार
6.	कार्यालय भवन के नालो की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
7.	खिड़की का काँच एवं मकड़ी के जाले की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
8.	बरसात के कारण जलजमाव की स्थिति में	कार्यालय	आवश्यकता पड़ने पर अविलंब पानी निकालना
9.	मरा हुआ चूहा	कार्यालय	तुरंत खोज कर फेकना
10.	कार्यालय मेंटेबल, टेबल का ग्लास, कुर्सी की सफाई	कार्यालय	प्रत्येकदिन
11.	खिड़की, दरवाजा, फर्श विभिन्न कोनों में जमे धूल, मकरी का जाल, अन्य स्थानों पर जमे गंदगी की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक सप्ताह
12.	दीवार / भवन में अनावश्यक रूप में उगे हुए पौधों को हटाना	कार्यालय	महीने में एक बार

4. प्रत्येक सफाई कर्मी का कार्य अवधि सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा एवं सफाई कर्मी को इस अवधि में कार्यस्थल पर उपस्थित रहना पड़ेगा।
5. प्रत्येक सफाई कर्मी स्वच्छ कपड़े में रहेंगे एवं स्वच्छता का हमेशा ख्याल रखेंगे एवं सभी कर्मियो को ड्रेस एवं पहचान–पत्र के साथ कार्य करना होगा।
6. समस्त सफाई सामग्री यथा, झाडू ,फर्श / दीवार एवं अन्य जगहों को पोछने का कपड़ा, खास फिनाईल / लाइजोल / कॉलिंस इत्यादि एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसीड, हारपिक, फिनाईल, फिनिट, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर सफाई एजेंसी द्वारा प्रदान किये जाएंगे एवं इसके लिये अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. समस्त सफाई सामग्री एवं मशीनरी अच्छे गुणवत्ता के होने चाहिये।
8. समस्त कचरा को नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर सफाई कर्मी प्रतिदिन फेकेंगे।
9. यूरिनल में नेफ्थालिन बॉल एवं दुर्गंध भगाने वाला ऑडोनिल, यूरिनल एवं शौचालय में हमेशा रहना चाहिए।

10. एजेन्सी द्वारा सिर्फ प्रशिक्षित एवं वयस्क श्रमिक को ही सफाई के कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जायेगा। बाल श्रमिक को कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने पर एकरारनामा रद्द हो जायेगा।

11. एजेन्सी द्वारा किसी तरह के आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को सफाई कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

12. प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा एजेन्सी द्वारा रखा जायेगा।

13. एजेंसी द्वारा सभी कर्मियों को पहचान–पत्र दिया जायेगा, जो स्थापना प्रभारी, राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित रहना चाहिए।

14. कार्यालय परिसर की सफाई प्रत्येक कार्य दिवस को किया जायेगा। यदि छुट्टी के दिनों में कार्यालय खुला रहे तो उस दिन भी कार्यालय में सफाई का कार्य करना एजेन्सी सुनिश्चित करेंगे एवं इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. आपातकालीन स्थिति में किसी भी समय साफ–सफाई हेतु बुलाया जा सकता है।

16. तालिका–1 में दर्शाये गये परिसर एवं सफाई कर्मियों की सूची/संख्या Tentative है। परिसर की संख्या एवं सफाई कर्मियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है।

17. कार्यालय परिसर का क्षेत्रफल घटने या बढ़ने पर, सफाई कर्मी की व्यवस्था एजेन्सी को करना पड़ेगा एवं इसके लिए एकरारनामा में उल्लिखित दर से वास्तविक रूप में कार्य कर रहे सफाई कर्मी की संख्या के आधार पर भुगतान किया जायेगा।

18. एजेन्सी प्रति सफाई कर्मी प्रत्येक माह में 21 दिनों के लिए (सभी सफाई सामग्री सहित) की दर पर कार्य करेंगे।

19. किसी भी दिन सफाई नहीं किये जाने पर उस दिन के लिए अनुपातिक ढ़ंग से एक दिन के लिए दर की गणना कर उसका 1.25 गुना राशि की कटौती पूरे महीने के लिए निर्धारित दर से की जायेगी।

20. एजेन्सी द्वारा अपने कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 5/एम0डब्लू0 40–16/2021 श्र0स0–1659 एवं 1660 दिनांक–28.03.2025 में अकुशल मजदूरों के लिए दिनांक–01.04.2025 से घोषित न्यूनतम मजदूरी रू0 424/– रूपया प्रति/दिन का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें समय–समय पर होने वाले परिवर्तन के आलोक में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एजेन्सी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

21. पूरे महीने के लिए साफ–सफाई हेतु प्रति मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी, साफ–सफाई इत्यादि पर होने वाले खर्च, अन्य आपाती खर्च एवं अन्य सभी तरह के खर्च, EPFO, ESIC Contribution की राशि की पूर्ण गणना करके पूरे महीने के लिए एक सफाई कर्मी के लिए अपना Monthly Rate वित्तीय निविदा में दर्ज करेंगे, जो Without GST Rate होगा। दर्ज Monthly Rate पर लागू दर पर GST की राशि का भुगतान कार्यालय द्वारा अलग से किया जायेगा। सारी गणना सोच–समझ कर करने के उपरांत ही निविदा डालेंगे क्योंकि निविदा डालने के उपरांत न्यूनतम राशि उद्धृत करने वाले निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में EMD की राशि जब्त हो जायेगी एवं इन्हें भविष्य के लिए निविदा डालने से वंचित करते हुए Debar /काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी ।

22. आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क की दर एवं ऐसे मानव बल के पारिश्रमिक का ससमय भुगतान हेतु निम्नवत् प्रक्रिया का पालन करना होगाः–

(i) आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी।

(ii) उक्त निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी। सेवा शुल्क के दर में अंकित रूपये में दशमलव के पश्चात 2 अंक से आगे अंकित अंक को नजर अंदाज कर दिया जायेगा।

(iii) निविदा में यदि एक से अधिक निविदादाता द्वारा उदधृत (Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है, तो वैसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जाएगा तथा इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी कराई जाएगी। निविदा के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया में बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित होगा।

(iv) मानवबल को श्रम संसाधन विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी एवं उसपर लागू वैधानिक देयता का भुगतान अनिवार्य होगा और इसे निविदा (Bid) का आधार नहीं बनाया जायेगा।

(v) चयनित एजेंसी के द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबद्ध बैंक खाता में (RTGS) की प्रक्रिया से किया जायेगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को राशि विमुक्ति की तिथि के तीन कार्य दिवस के अंदर संबंधित एजेंसी द्वारा किया जायेगा। संबंधित कार्यालय/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा कराना होगा।

(vi) आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों/मानव बल के पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबद्ध बैंक खाते में) का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैधानिक कटौती/देयता (यथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बिमा अंशदान) की राशि जमा करने का साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

उदाहरण स्वरूप आपके द्वारा निम्न तरह से एक कर्मी हेतु Cost की गणना की जा सकती है (निम्न गणना सांकेतिक है)।

21 दिन के लिए मजदूरी (**21** दिनx **424** रूपया)	=8,904/-रूपया
लागू दर पर EPFO की राशि@13%	= 1158/-रूपया
लागू दर पर ESIC की राशि@3.25%	= 289/-रूपया
सेवा शुल्क प्रतिमाह@...........%में	=....................रूपया

....

कुल राशि (Without GST)

कृपया उपर्युक्त राशि को ध्यान में रखते हुए वित्तीय निविदा दाखिल करें।

वित्तीय निविदा में वर्णित राशि का Justification **एजेंसी से मांगा जा सकता है और** Justification **उचित नहीं रहने पर भविष्य में निविदा डालने से वंचित किया जा सकता है।**

1. समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी का Revision होता है, उसी के अनुसार एजेंसी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करेंगे ।
2. EPFO-ESIC अन्य अनिवार्य राशि संबंधित विभाग से जमा करने का पूर्ण दायित्व साफ–सफाई एजेंसी का रहेगा ।

****

Annexure-A

(वित्तीय निविदा का प्रारूप)

सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम...

पूर्ण पता...

दूरभाष संख्या–...

ईमेल आई0डी0..

PAN संख्या–.. GST संख्या–..................................

सफाई का दर

	प्रति सफाई कर्मी प्रतिदिन	
5.	21 दिन के लिए मजदूरी (21 दिनx424 रूपया)	=8,904/-रूपया
6.	लागू दर पर EPFO की राशि@13%	=1158 /-रूपया
7.	लागू दर पर ESIC की राशि@3.25%	=289 /-/-रूपया
8.	सेवा शुल्क प्रतिमाह@..............%में	=....................रूपया
	एवं (Without GST)= अंक में............................	
	शब्द में..........................	

निविदादाता का हस्ताक्षर

....

2० कु Ry